राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2990 / 2022

डॉ.अनिल कुमार चौधरी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुखशासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2), विभाग एवं पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।
3. डॉ. प्रीति भार्गव, उप निदेशक, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरकत नगर, जयपुर से सीएचसी, रूपनगढ, अजमेर में स्थानान्तरणाधीन।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश दिनांक : 05.12.2022

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक
निजी प्रत्यर्थी सं.3 की ओर से : श्री मनीष शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
मातादीन शर्मा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर विद्वान् अधिवक्ता को सुना जाकर अपील को ग्राह्य किया गया एवंअधिकरण द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर अंतरिम आदेश दिनांक 29.08.2022 पारित किया जाकर विवादग्रस्त आदेश दिनांक 02.08.2022को अपीलार्थी के सम्बन्ध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया।

अपीलार्थी का अपील में कथन है किअपीलार्थी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 02.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खोखावास, सांगानेर, जयपुर से पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में किया गया। उसका कथन है कि उक्त आलोच्य आदेश में अपीलार्थी को चिकित्सा अधिकारी के पद पर होना दर्शाया गया है, जबकि अपीलार्थी की पदोन्नति वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर हो चुकी है।

उसका कथन है कि आलोच्य आदेश में निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरकत नगर, जयपुर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रूपनगढ, अजमेर के लिये स्थानान्तरणाधीन दर्शाते हुए राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य

केन्द्र, खोखावास सांगानेर, जयपुर में अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। उसका कथन है कि निजी प्रत्यर्थी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रूपनगढ, अजमेर में कार्य ग्रहण नहीं किया और उसको अनुचित लाभ देने के आशय से अपीलार्थी को स्थानान्तरित किया गया है और उसके स्थान पर निजी प्रत्यर्थी को पदस्थापित किया गया है।

उसका कथन है कि अपीलार्थी को केवल आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है और अपीलार्थी को कोई पदभार नहीं दिया गया है। ऐसे में आलोच्य आदेश राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 25 क एवं परिशिष्ठ 9 के प्रावधानों के विपरीत है। अतः उक्त आधार पर अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 02.08.2022 को अपास्त किया जावे।

राज्य सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से निदेशालय में आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है, जिसके लिए विभाग को पूर्ण शक्तियां प्रदत्त है। इस आदेश को जारी करते समय राजस्थान सेवा नियमों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया गया है तथा अपीलार्थी का यह कथन भी निराधार है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 को समायोजित करने के उद्धेश्य से अपीलार्थी को स्थानान्तरित किया गया है। अपीलार्थी राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोखावास में जून, 2019 से लगातार कार्यरत है। राज्य सरकार 25 क में अंकित आधारों के अतिरिक्त अन्य कारणों से भी आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने का आदेश प्रशासनिक कारणों से कर सकती है। अतः अपीलार्थी की अपील एंव स्थगन आदेश खारिज फरमाया जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया कि अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 02.08.2022 पारित होने के पश्चात दिनांक 04.08.2022 के आदेश द्वारा कार्य मुक्त कर दिया गया है, जो तथ्य अपीलार्थी ने स्वीकारे है। उनका कथन है कि प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए स्थानान्तरण आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी के किसी एक स्थान पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमनें उभयपक्षकारेां की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के सम्बन्ध में जो स्थानान्तरण आदेश दिनांक 02.08.2022 को पारित किया गया है, जिसमें अपीलार्थी को चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत होना बताया गया है। ऐसे में अपीलार्थी जो कि वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का पद धारित करता है उसे चिकित्सा अधिकारी होना दर्शाते हुए स्थानान्तरित किया गया है, जिससे प्रकट होता है कि स्थानान्तरण आदेश पारित करने में मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया है। स्थानान्तरण आदेश पारित होने के पश्चात अपीलार्थी को अभी तक पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में रखा गया है, जो उचित नहीं है।

अधिकरण के समक्ष यह भी प्रकट हुआ है कि निजी प्रत्यर्थी जो कि पूर्व में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरकत नगर, जयपुर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रूपनगढ, अजमेर में स्थानान्तरित आदेश दिनांक 13.07.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा की गयी थी। निजी प्रत्यर्थी ने रूपनगढ, अजमेर में कार्यभार ग्रहण नहीं किया और उसके पश्चात आलोच्य आदेश दिनांक 02.08.2022 पारित कर निजी प्रत्यर्थी का रूपनगढ, अजमेर में स्थानांतरणाधीन अंकित करतुए हुए पुनः जयपुर में ही राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खोखावास, सांगानेर, जिला जयपुर में अपीलार्थी के स्थान पर समंजित (Accomodate) कर पदस्थापित किया गया है।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार हस्तगत अपील स्वीकार करते हुए अधिकरण द्वारा पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 29.08.2022 को सम्पुष्ट किया जाता है एवं आलोच्य आदेश दिनांक 02.08.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 05.12.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(मातादीन शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)